राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– र.रिपोर्ट/2–7(5)विविध/अभि/15 जयपुर, दिनांकः 9/5/16

–ः परिपत्र ः–

पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं। केस ऑफिसर स्कीम के द्वारा भी गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अभियोजन के सहयोग से शीघ्र विचारण कराने एवं अपराधियों को दण्डित कराये जाने का प्रयास किया जाता रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/05/152–200 दिनांक 09.01.2006, क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी (201)/06/2396 दिनांक 05.07.06, क्रमांक र–4(7)पुलिस/प्रशासन/2005–06/3 दिनांक 19.8.06, क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/10/7044–94 दिनांक 25.11.2010 एवं क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2011/6711–73 दिनांक 25.11.2011 में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, संगठित अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रहे अपराधों आदि से सम्बन्धित प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम में रखा जाता रहा है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न है। पुलिस मुख्यालय स्तर से केस ऑफिसर स्कीम के संबंध में समय–समय पर जारी उपरोक्त आदेश/परिपत्रों की निरन्तरता मे निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. बालकों के प्रति बढ़ते लैंगिक अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के बढते अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक होगा कि पोस्को एवं मादक पदार्थों की तस्करी के वाणिज्यिक मात्रा के गम्भीर प्रकरणों एवं धार्मिक असहिष्णुता के गम्भीर प्रकरणों से सम्बन्धित प्रकरणो को भी केस ऑफिसर स्कीम के दायरे में लाया जावे।

2. केस ऑफिसर स्कीम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उचित एवं आवश्यक होगा कि केस ऑफिसर स्कीम में शामिल प्रकरणों की सूची सम्बन्धित जिले के सहायक निदेशक अभियोजन एवं सम्बन्धित न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी को भी भेजी जावे। केस ऑफिसर सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहे एवं विचारण के महत्वपूर्ण स्तर यथा चार्ज बहस, साक्ष्य के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श करे। अभियोजन की ओर से सहायक निदेशक एवं पुलिस विभाग की ओर से सम्बन्धित वृत्ताधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरणो का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जावे। इस योजना में लिये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में केस ऑफिसर मासिक रिपोर्ट सहायक निदेशक अभियोजन एवं सम्बन्धित वृत्ताधिकारी को भेजे, जिसकी समीक्षा मासिक व त्रैमासिक बैठक मे की जावे। पूर्व से लम्बित, निर्णित एवं नये जोडे गये प्रकरणों की त्रैमासिक रिपोर्ट इस विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

ह0/–
(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव गृह(विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

9/5/16

विशिष्ठ शासन सचिव गृह(विधि)